Centre for CIVIL SOCIETY
Social Change through Public Policy

अनुचित माल ज़ब्ती के खिलाफ फुटकर विक्रेताओं के अधिकार

धारा 19

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014

1 बेदखली या पुनर्वास आदेश का अनुपालन न करने के लिए माल ज़ब्ती

स्ट्रीट वेंडर्स का माल तब ही ज़ब्त किया जा सकता है जब वे बेदखली या पुनर्वास आदेश का अनुपालन करने में नाकाम होते हैं।

2 30 दिन का नोटिस दिए बिना कोई माल ज़ब्ती नहीं की जा सकती

बेदखली या पुनर्वास से पहले 30 दिनों का नोटिस देने पर ही स्ट्रीट वेंडर्स का माल ज़ब्त किया जा सकता है।

3 रसीद के बिना कोई माल ज़ब्ती नहीं की जा सकती

स्ट्रीट वेंडर्स को ज़ब्त किए गए माल की सूची की एक कॉपी दिए बिना माल ज़ब्त नहीं किया जा सकता हैं। इस कॉपी पर अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर भी होना चाहिए।

4 ज़ब्त किए गए माल को वापस लेने का दावा

स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम में दिए गए शुल्क का भुगतान करने पर स्थानीय प्राधिकरण से ज़ब्त माल वापस हासिल करने का दावा कर सकते हैं।

5 ज़ब्त माल छोड़ने की समय सीमा

- ज़ब्त माल प्राधिकरण द्वारा इन दिनों में छोड़ा जाना चाहिए -
- खराब हो सकने वाले सामान की स्थिति में वेंडर जिस दिन दावा दायर करता है, उसी दिन।
- खराब न होने वाले सामान की स्थिति में वेंडर द्वारा दावा दायर करने के दो दिन के भीतर।

सेंटर फोर सिविल सोसायटी

www.ccs.in | ए-69, हौज खास, दिल्ली- 110016

व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन नंबर : + 91 9315013135 (प्रशांत नारंग) | ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें - www.youtube.com/ccsindiatv